संख्या- 90 /2016-1309 (1) /नौ-5-16-153बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-68/बैंकिंग/2314-0017/15-16 दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 81/2016- 1121(1)/नौ-5-16-153बजट/2015 दिनांक 31 मार्च 2016 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 3035.89 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष शासनादेश संख्या-327/2015-4266/नौ-5-15-153बजट/2015, दिनांक 26.10.2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 100.00 लाख का उपभोग होने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय ।

(6) परियोजना को पूर्ण कराते हुए परियोजना तत्काल सम्बन्धित नागर निकाय को हस्तान्तरित किया जाय।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवास हायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चिम करेंगे । यदि निर्धारित शर्ते का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त

go finance mangal font

नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक-"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या- 90 /2016- 1309 (1) /नौ-5-16-153बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बुलन्दशहर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (मे0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सैल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

Shashnama.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/04/2016

प्रेषण संख्या:- 90

आवंटन आदेश संख्या:- 001-90-2016-1309-1-9-5-16-153B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	88949000	88949000
	योग	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	88949000	88949000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ नवासी लाख उनचास हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी